

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :- 179/23

प्रार्थी :- प्रेमराम पुत्र मांगीलाल, जाति भील, निवासी मोकलसर, तहसील
सिवाना, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला
बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी.ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- 1 श्री अचलाराम थोरी :- प्रार्थी अधिवक्ता
2 सरकारी पैरोकार :- विप्रार्थी



आदेश

दिनांक :- 31.7.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की
खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3682/144 रकबा 1.2773 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा
तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त खेत व सड़क के मध्य विप्रार्थी का
खसरा संख्या 2609/89 हैक्टेयर भूमि आई हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी
भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे में
से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता पड़ता है। लेकिन रिकॉर्ड
में कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिससे
प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को
भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही
प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु
इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है।

अतः प्रार्थी ने ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3682/144

रकबा 1.2773 हैक्टेयर भूमि में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्ट्रर कर विप्रार्थी को जरिये रजिस्ट्रट नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी का जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब बन्द किया गया। विवादित भूमि को मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिये कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 3682/144 रकबा 1.2773 हैक्टेयर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त खत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी का खसरा संख्या 2609/89 भूमि आई हुए है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता कटाण नहीं होने के कारण विप्रार्थी द्वारा रोक टोक की जाती रहती है, इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौत विकल्प है, तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखते हुए कथन किया कि विवादित भूमि की तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका जांच की गई, और अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंसा की गई है। अतः तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी



दिवाकर
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त रास्ता राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से ही सहमत है।

विप्रार्थी की ओर से राज. पैरोकार (एन.टी) द्वारा अपनी बहस में तर्क दिये गये कि मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी खेत ग्राम मंडापुरा, तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 3682/144 रकबा 1.2773 हैक्टेयर से होकर मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए बीच खसरा संख्या 2609/89 से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिपोर्ट दिनांक 10.07.2023 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3682/144 रकबा 1.2773 हैक्टेयर से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए आवागमन हेतु उपयुक्त भूमि खसरा संख्या में से प्रस्तावित है, जो अन्तिम विकल्प रास्ता है, जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विप्रार्थी द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार रास्ते हेतु खसरा संख्या 2609/89 में से 30 फीट चौड़ा का रास्ता हेतु भूमि




प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर राशि 1,83,765 /- अक्षरे एक लाख तैयासी हजार सात सौ पैसट रुपये प्रति बीघा है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदार को उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 2609/89 में से प्रस्तावित 0.0920 हैक्टेयर की राशि 1,83,765 /- अक्षरे एक लाख तैयासी हजार सात सौ पैसट मात्र प्रति बीघा है, जिसमें से रास्ते हेतु राशि रुपये 1,33,685/-, देय होते हैं, जो विप्रार्थी को राशि दी जानी प्रस्तावित है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है। उपरोक्त विवेचन उपरांत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।



लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2609/89 में से 30 फीट चौड़ रास्ता हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.0920 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि -1,33,685 /- अक्षरे एक लाख तेतिस हजार छः सौ पिचासी मात्र भुगतान करते हुए तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 10.07.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में ए से बी लाल रंग चौड़ा दर्शाये अनुसार चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में जमा करावे बाद राशि जमा करवाये बाद राशि जमा कराने पर तहसीलदार पचपदरा को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते मेंजाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद

एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पंचपदरा के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 10.07.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



(विवेक व्यास)

उपस्थित अधिकारी
(SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपस्थित अधिकारी
(SDO) बालोतरा

